Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सुखाराम बनाम देवाराम

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 185/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
10.6.2015	वकील वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–आसरलाई में पत्रावली पेशहुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेशकिया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–आसरलाई , तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109/1, 121, 234, 329, 346, 476 कुल रकबा 48.06 बीघा में सामलाती खातेदारी भूमि दर्ज है। पक्षकार दोनो भाई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज नही है। राजीनामा के अनुसार हिस्सा दर्ज किया जावें। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को खातेदार काष्तकार घोषित करना उचित समझते है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–आसरलाई , तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109/1, 121, 234, 329, 346, 476 कुल रकबा 48.06 बीघा भूमि में सुखाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी आसरलाई 1/2, देवाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी आसरलाई 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO	687 18.4.16

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
सुखाराम पुत्र अमराराम जाति जाट		देवाराम पुत्र अमराराम जाति जाट
निवासी आसरलाई		निवासी आसरलाई
तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		तहसील जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 185/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेशहोकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–आसरलाई , तहसील–जैतारण के खसरा नम्बर 109/1, 121, 234, 329, 346, 476 कुल रकबा 48.06 बीघा भूमि में सुखाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी आसरलाई 1/2, देवाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी आसरलाई 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र **आसरलाई** में आज तारीख **10.6.2015** को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजानः– मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner